–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 10/2019

उनवान

भैरू पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर रोड, गुलाबबाडी, अजमेर।
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. हमीरा मुतबन्ना हीरा, जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंडियानी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–: अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 12.12.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 1358 रकबा 9–5–0 व 1356 मिन रकबा 0–16–0 के हाल खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.50 व 1047/2209 रकबा 0.13 की आराजी प्रार्थी ने तत्कालीन खातेदार रामचन्द्र, काना पि. हजारी से जरियें विक्रय पत्र दिनांक 13.03.1992 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। तब से प्रार्थी आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त पीकृत विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 22.06.2008 से राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित कर दिया, जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा बेदखल करने व हस्तांतररण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्ततुत वि[illegible] अनुसार ग्राम मंडियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 1358 रकबा 9–5–[illegible] की आराजी प्रार्थी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिदनांक 30.03.1992 को [illegible] खातेदार रामचन्द्र, [illegible]. हजारी से क्रय की थी। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 2[illegible]/257 में आराजी मुत[illegible]मीरा

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतबन्ना हीरा व रामचन्द्र, काना पि. हजारी के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता ने उक्त आराजी में से मात्र अपना हिस्सा ही प्रार्थी को विक्रय किया है। अप्रार्थी संख्या 1 अथवा उससके पूर्वज द्वारा आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा प्रार्थी को बैचान नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा का सह खातेदार दर्ज था। विक्रेता के स्थान पर प्रार्थी का नाम हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार प्रार्थी के साथ सह खातेदार दर्ज है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। अतः प्रथम प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा में प्रार्थी द्वारा जिनका हिस्सा क्रय किया वह राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका हहै। अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। जिसे बिना विशेष परिस्थितियों के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम मंडियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 1358 रकबा 9–5–0 व 1356 मिन रकबा 0–16–0 के हाल खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.50 व 1047/2209 रकबा 0.13 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:48 IST
Reason: SelfAttested